



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

(पीठासीन अधिकारी -भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-64 / 2025

दर्ज तिथि:-13.06.2025

1. भैराराम पुत्र लालूराम
2. देवी पत्नी भैराराम

जाति जाट निवासी खोथावास,पटवार हल्का अरणीयाली, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. रामाराम पुत्र गंगाराम
2. जाति जाट निवासी खोथावास,पटवार हल्का अरणीयाली, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।
3. शाखा प्रबंधक,भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी
4. तहसीलदार, धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण


.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:-श्री बाबूलाल पूनिया
प्रतिवादीगण:-ओमप्रकाश विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादीगण एवं प्रतिवादा प्रतिवादी अन्तर्गत धारा- 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा के तहत स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है एवं संयुक्त आराजी खसरा संख्या 267 / 18.3160 है, वाके ग्राम खोथावास पटवार हल्का अरणीयाली तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर की भूमि में वादीगण एवं असल प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड दर्ज हिस्सानुसार आराजी का विभाजन उभयपक्षकारों के मौके पर वहामी बंटवारे तथा कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व सिद्धांत के अनुसार तथा राजस्व विभाग के परिपत्र 06.11.2004 के अनुसार सभी सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम करते अलग-अलग खाता कायम किये जाने के प्रस्ताव तैयार करने के


सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना


भैराराम बनाम रामाराम

2025/181

निर्णय दिनांक:-29.07.2025

आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव (कुर्रैजात-रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करे।

यह प्रारम्भिक डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 29.07.2025 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाई गई।


(भागीरथराम अरि.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
धोरीमन्ना बाड़मेर

